समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 19 August 2026

साइबर धोखाधड़ी पर तुरंत कार्रवाई करे, फडणवीस ने बताया 'गोल्डन आवर' रूल

Publisher

Published on 03 Oct 2025

मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागरिकों को साइबर धोखाधड़ी और ऑनलाइन फ्रॉड के प्रति सचेत रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 'गोल्डन आवर' रूल की जानकारी दी और बताया कि साइबर अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है।

कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टार्स अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी की भी मौजूदगी रही। उन्होंने मुख्यमंत्री के संदेश का समर्थन किया और लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि साइबर धोखाधड़ी के मामलों में रिपोर्टिंग में देरी होने पर अपराधियों को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि पुलिस ने 'गोल्डन आवर' की अवधारणा पेश की है।

'गोल्डन आवर' रूल के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होना पड़ता है या कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो उसे तुरंत संबंधित पुलिस थाने या साइबर सेल को सूचित करना चाहिए। इस दौरान पहले दो घंटे को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। इस समयावधि में कार्रवाई से अपराधियों को पकड़ने और हानि को कम करने में मदद मिलती है।

मुख्यमंत्री ने लोगों को यह भी समझाया कि कई बार लोग ऑनलाइन धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर इसे हल्का समझते हैं या बाद में पुलिस से संपर्क करते हैं। इससे न केवल वित्तीय नुकसान बढ़ता है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना भी मुश्किल हो जाता है। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि किसी भी साइबर फ्रॉड की सूचना मिलने पर इंतजार न करें, बल्कि तुरंत पुलिस को सूचित करें।

कार्यक्रम में उपस्थित अक्षय कुमार ने नागरिकों को डिजिटल दुनिया में सतर्क रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में किसी भी छोटे संकेत को नजरअंदाज न किया जाए।

रानी मुखर्जी ने भी जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग और ई-कॉमर्स

प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी साझा करते समय सतर्कता बरतना जरूरी है। उन्होंने लोगों को समझाया कि सुरक्षित पासवर्ड, दो-स्तरीय प्रमाणीकरण और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना डिजिटल सुरक्षा के महत्वपूर्ण उपाय हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र में साइबर सेल और पुलिस बल लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से साइबर अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति तुरंत रिपोर्ट करता है, तो पुलिस अपराधियों तक जल्दी पहुंच सकती है और नुकसान को कम कर सकती है।

उन्होंने यह भी उदाहरण दिया कि हाल के कुछ मामलों में, 'गोल्डन आवर' रूल के पालन से अपराधियों को तुरंत पकड़ लिया गया और पीड़ितों का नुकसान बचाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नियम सभी नागरिकों के लिए फायदेमंद है और इसे अपनाकर वे अपने पैसे और जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारीयों ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न अभियान शुरू किए हैं। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और व्यापारिक संस्थानों में सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। इसका उद्देश्य लोगों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति सचेत करना और साइबर अपराध की रोकथाम करना है।

फडणवीस ने जनता से अपील की कि वे किसी भी संदेहास्पद ईमेल, मैसेज, कॉल या लिंक की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के खिलाफ समय पर कार्रवाई करना न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि यह पूरे समाज की डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करता है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिजिटल इंडिया के विजन को भी याद दिलाया। उन्होंने बताया कि तकनीक का इस्तेमाल करना बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही नागरिकों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। 'गोल्डन आवर' रूल इसे लागू करने का एक सरल और प्रभावी तरीका है।

अंत में फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार और पुलिस बल हमेशा जनता की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही साइबर अपराध पर काबू पाया जा सकता है। अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी की मौजूदगी में यह संदेश और भी प्रभावशाली साबित हुआ।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि 'गोल्डन आवर' रूल एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा कि डिजिटल अपराधियों की पकड़ में समय महत्वपूर्ण होता है और तुरंत रिपोर्टिंग अपराधियों की गतिविधियों को रोकने में निर्णायक साबित होती है।

इस कार्यक्रम ने आम जनता को एक स्पष्ट संदेश दिया कि साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता और तुरंत कार्रवाई ही सबसे बड़ा हथियार है। महाराष्ट्र में इस रूल के लागू होने से उम्मीद है कि ऑनलाइन फ्रॉड के मामले कम होंगे और नागरिक सुरक्षित रहेंगे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Publisher, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.